



# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर- 19 नवा रायपुर, अटल नगर  
(छत्तीसगढ़) पिन- 492015

दूरभाष-0771-2511285, 2511287 ई-मेल: office.mdnrh@gmail.com



क्रमांक /NHM/HR/2023/ 418/3227

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक...22/12/2023

## // दावा-आपत्ति हेतु सूचना //

कार्यालयीन संशोधित विज्ञापन क्रमांक/एन.एस.-418/388 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रोग्रामों हेतु जिला स्तरीय रिक्त विभिन्न पदों (बैकलाग एवं नवीन पद) की भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 11.05.2023 से 26.05.2023 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। विज्ञापन में विज्ञापित जिला स्तरीय District Consultant-HWC पद हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची तैयार कर कार्यालयीन सूचना क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2023/418/2282 दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से दावा आपत्ति मंगाया गया था, जिसे कार्यालयीन सूचना क्रमांक/एनएचएम/एचआर/2023/418/3140 दिनांक 13.12.2023 के अनुसार अपरिहार्य कारणों से सूची निरस्त किया गया है।

01/ जिला स्तरीय District Consultant-HWC के पद पर भर्ती हेतु पुनः प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) में अपलोड की जा रही है, जिस हेतु दिनांक 22/12/2023 सायं-05:00 बजे तक ई-मेल आई.डी. [nhmcdavaappati@gmail.com](mailto:nhmcdavaappati@gmail.com) में अभ्यर्थी अपना दावा-आपत्ति संगन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा-आपत्ति हेतु ई-मेल प्रेषित करते समय विषय में अभ्यर्थी का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं पदनाम उल्लेखित करना तथा दावा-आपत्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

02/ दावा-आपत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होने, ई-मेल में अभ्यर्थी का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं पदनाम उल्लेखित नहीं होने या निर्धारित समय के पश्चात् दावा-आपत्ति प्राप्त होने अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित करने पर दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा। दावा-आपत्ति हेतु अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों का केवल **01 PDF File** बना कर प्रेषित करेंगे।

03/ ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पूर्णांक/प्राप्तांक नहीं भरे हैं अथवा ग्रेड भरे हैं, उन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना पूर्णांक/प्राप्तांक/प्रतिशत को अनिवार्यतः स्पष्ट करें अन्यथा अपात्र होने की स्थिति में अभ्यर्थी के स्वयं की जवाबदारी होगी।

उक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

अद्यतन जानकारी हेतु अभ्यर्थी निरंतर विभागीय वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) का अवलोकन करें।

मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
छत्तीसगढ़